

फर्द अहकाम

बनाम

5

खण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर (राज.)

/2014

ना या	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>१-५-१५ व कुलाय उप०। दस्तावेज जात पत्र कानूनी को अनुसूचित-याद वास्ते पत्र होने दस्तावेजगत व कापसी नकलीयात .. दिनांक १९५१५ को पत्र हो।</p> <p style="text-align: center;">for उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>१९५१५ व कुलाय उप०। वास्ते पत्र होने दस्तावेज व कापसी नकलीयात दिनांक ३०८१५ को पत्र हो।</p> <p style="text-align: center;">for उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>३०-८१५ व कुलाय उप०... प्रकीर्णकारीने एवं प्रतिवादीगण ने इन्ही पत्रकारों के मध्य विचारधीनवाद सं० १२/२०११ दीनांक १/१५ अगस्त कोर्ट के साथ प्रस्तुत वाद को एक किलम किया जाकर विचाराण का निवेदन किया। उक्त निवेदन भाषित ने उक्त वाद को आज ही राजस्थान सं० १२/२०११ दीनांक १५ अगस्त के साथ एक किलम किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">for उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p>अनि दीरा</p> <p>अनि दीरा</p>